

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिला छिंदवाडा**

क्रमांक./ 671/स्था-3/विशेष शिक्षा/दिव्या./2026

छिंदवाडा, दिनांक 02.10.2026

// आदेश //

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 एवं समय-समयपर संशोधित भर्ती नियम के नियम 5 (4) (क) के अनुसार कर्मचारी चयन मंडल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा प्राथमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के परिणाम के आधार पर जारी चयन सूची के निम्नांकित अभ्यर्थियों को दिव्यांगता परीक्षण में पात्र पाए जाने पर मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक (विशेष शिक्षा) के पद पर नियुक्त करने के नाम के समक्ष अंकित विद्यालय में निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है-

S. N	ROLL	RANK	NAME AND F/H NAME	ADDRESS	CATEGORY	SELECTED CATEGORY	POSTING PLACE	Block
1	3404250711 850	65309	NEHA KHANDEKAR F/H Name- HARI PRASAD	WARD NO 19 KAILASH NAGAR WARASEONI WARASEONI BLG	SC	SC/LD/F	INSTITUTE CODE- 23430115613 Chhindwara, GHSS (GIRLS) MLCHHINDWARA(6 to 12)	Chhindwara

2/ उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.-2 (छट्वां वेतनमान 5200-20200 +2400 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल-6 में तत्स्थानी वेतनमान 25300-80500 के न्यूनतम वेतन रुपये 25300/- + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय-समय पर देय हैं, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक-सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिंदु क्र. (ब) के अनुक्रम में राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 के संशोधित नियम 13(राजपत्र दिनांक 24 दिसंबर 2019) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टापेंड के रूप में देय होगी। परीक्षा अवधि (3 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उक्त वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

3/ यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परीक्षा पर की जाती है। परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के संशोधित नियम 13 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। परीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। परीक्षा अवधि में अनाधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति में सेवाये समाप्त की जा सकेगी।

4/ संबंधित चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

5/ संबंधित अभ्यर्थी को दिनांक 14 अक्टूबर 2026 तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थिति देनी होगी। प्राथमिक शिक्षक पद पर उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। समस्त अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से किया जायेगा। दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है:-

- I. नियुक्ति आदेश
- II. पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ई-मेल एड्रेस
- III. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी किया हुआ नवीनतम अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र)
- IV. आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग (E.W.S.) के अभ्यर्थियों लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र
- V. मूल निवासी प्रमाण पत्र
- VI. स्थायी निःशक्तता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र—न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है)
- VII. अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर हुई है)
- VIII. शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्यागपत्र की पावती प्रति
- IX. अभ्यर्थी के शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता (स्पेशल डीएलएड) संबंधी दस्तावेज।
- X. आरसीआई द्वारा जारी वैध पंजीयन प्रमाणपत्र एवं CRR नंबर
- XI. भूतपूर्व सैनिक की दशा में वैध प्रमाणपत्र।
- XII. बोनस प्राप्त करने की स्थिति में NCC का C प्रमाणपत्र
- XIII. कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा की अंकसूची
- XIV. अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर में नही आने संबंधी घोषणा (परिशिष्ट- 1)
- XV. संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड (परिशिष्ट- 2)

6/ बिन्दु 5 में उल्लेखित दस्तावेजों के इस कार्यालय द्वारा परीक्षण उपरांत पात्र पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाणपत्र (पुलिस वेरीफिकेशन) भी प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को जिला पारस्परिक परिवर्तन के लिए दिए गए विकल्प के कारण पूर्व में जारी जिला आवंटन आदेश निष्प्रभावी माना जाएगा।

7/ यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।

8/ परीवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदंडों के अनुसार किया जावेगा।

9/ प्राथमिक शिक्षक विशेष शिक्षा की पदस्थापना संकुल शाला में रहेगी, परन्तु संकुल अंतर्गत जिस शाला में दिव्यांग छात्रों की संख्या अधिक (अस्थि बाधित को छोड़कर) होगी, उस शाला में अध्यापन कार्य कराना होगा तथा आवश्यकतानुसार अन्य विद्यालय जहाँ दिव्यांग विद्यार्थी होंगे, उन विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण/ सहयोग करना होगा।



10/ आरसीआई द्वारा जारी सीआरआर नम्बर संपूर्ण सेवा के दौरान कियाशील रहना अनिवार्य है। आरसीआई प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने पर इसे छ माह के भीतर नवीनीकरण कराना होगा। निर्धारित समयावधि में प्रमाणपत्र का नवीनीकरण नहीं करवाने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।

विशेष टीप:- यदि चरित्र /जाति/निःशक्तता/शैक्षणिक तथा व्यावसायिक योग्यता/शपथपत्र इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला छिंदवाडा

पृ. क्रमांक./स्था.3/विशेष शिक्षा /दिव्यां./2026/672
प्रतिलिपि:-

छिंदवाडा, दिनांक 02.10.2026

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीस्कूल शिक्षा एवं परिवहनमध्यप्रदेश शासन भोपाल ।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
4. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर ।
5. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश ।
6. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र ।
7. संभागायुक्त जबलपुर मध्यप्रदेश ।
8. संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग.जबलपुर मध्यप्रदेश ।
9. कलेक्टर जिला छिंदवाडा ,मध्यप्रदेश ।
10. संबंधित कोषालय अधिकारी, म.प्र ।
11. संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारीजिला.छिंदवाडा , म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. चयनित अभ्यर्थियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तों से सहमत होने की दशा में पदांकित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (म.प्र.) को दिनांक 14अक्टूबर 2026 तक अपनी उपस्थिति दें।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला छिंदवाडा

अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं.....विभाग में के संबंध में निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ। शिक्षक पद पर नियुक्ति के संबंध में निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ।

(1) मैं..... पुत्र/पुत्री श्री..... निवासी ग्राम/कस्बा/शहर..... जिला.....मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूँ। यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं. का/की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आरक्षण के जाति लिए अधिसूचित है।

(2) मैं शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूँ। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मेरा जाति प्रमाण-पत्र एवं वर्ष 2025-2026 का आय प्रमाण पत्र संलग्न है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

रोल नम्बर.....

शपथ पत्रः

मैं आयु पुत्र/पुत्री/पत्नी.....
निवासी

फोटो

.....शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ-

1. यह कि मेरा चयन,पद पर हुआ है।
2. यह कि मेरा चरित्र उत्तम है।
3. यह कि मुझे आज दिनांक तक कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है।
4. यह कि मुझ पर आज दिनांक तक किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है।
5. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है।
6. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण / संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है।
7. यह कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारियां दी है एवं जो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं वे पूर्णतः सही एवं सत्य है।
8. यह कि यदि मेरे द्वारा जो जानकारियां दी गई है और जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है यदि उनमें कोई भी जानकारी/दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरुद्ध असत्य शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के लिए भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जोकि मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा।
9. यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरा नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जाता है और यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।
10. यह कि मेरी दो से अधिक जीवित संतान में किसी का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात नहीं हुआ है।
11. माननीय न्यायालय में नियुक्ति के संबंध में मेरे द्वारा प्रस्तुत कोई न्यायालयीन प्रकरण विचाराधीन/लंबित नहीं है।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता.....सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की कंडिका क्रमांक 1 लगायत 11 में दी गई समस्त जानकारियां मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही है, जिनका सत्यापन आज दिनांक..... को स्थानमें किया गया है।

शपथग्रहिता

एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए शपथ पत्र प्रारूप

परिशिष्ट- 3

मैं

// शपथपत्र //

पुत्र/पुत्री

निवासी _____
सत्यनिष्ठापूर्वक शपथ लेकर निम्नलिखित कथन करता/करती हूँ:-

- (i) कि मैंने प्राथमिक शिक्षक के पद हेतु विज्ञापन संख्या 69/2025 के अंतर्गत _____ (प्रवर्ग) से आवेदन किया था।
- (ii) मेरा आवेदन क्रमांक _____ है।
- (iii) मेरी जन्मतिथि _____ है।
- (iv) मेरी शैक्षणिक योग्यता (10वीं कक्षा से आगे) _____ है।
- (v) मैंने _____ (विद्यालय का नाम) में, जिला _____ राज्य _____ के अंतर्गत, दिनांक _____ से _____ तक प्राथमिक शिक्षक के रूप में कार्य किया है, जिसके संबंध में सेवा प्रमाण-पत्र संलग्न है। यदि भविष्य में उक्त सेवा के संबंध में कोई अभिलेख मांगा जाता है तो मैं प्रस्तुत करूंगा।
- (vi) मैं यह शपथपत्र लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त के समक्ष प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत करने के उद्देश्य से शपथपूर्वक दे रहा/रही हूँ।
- vii) यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत कोई भी सूचना असत्य अथवा गलत पाई जाती है, तो मेरे कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात भी मेरी अभ्यर्थिता अथवा सेवा किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।

सत्यापन

मैं, _____ (पूरा नाम), सत्यनिष्ठापूर्वक यह सत्यापित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त अनुच्छेद (i) से (vii) तक वर्णित सभी तथ्य मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं तथा इनमें कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया नहीं गया है। इन कथनों के सत्य होने की शपथ लेते हुए मैं यह शपथपत्र प्रस्तुत करता/करती हूँ।

स्थान : _____

दिनांक : _____ 2025

शपथकर्ता (नाम एवं हस्ताक्षर)

मेरे समक्ष